/123233/2024

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–28.03.2024 को जूम के माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–28.03.2024 को राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना अध्यक्षता में की गई है। बैठक में सर्वप्रथम 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नरूपेण प्रगति पाई गई–

2500 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र –6 इंट्री	एल0 पी0 एम0 लंबित	एल0 पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अरवल	166	141	25	0	1	0	3	3	18	
2	बेगूसराय	287	265	22	2	4	5	6	2	3	
3	खगड़िया	78	76	2	1	0	0	1	0	0	
4	किशनगंज	284	146	138	0	68	14	47	8	1	
5	मधेपुरा	61	54	7	0	0	0	0	7	0	
6	मुंगेर	264	254	10	1	0	0	5	3	1	
7	सहरसा	42	39	3	0	0	0	1	1	1	
8	प0 चम्पारण	153	152	1	0	0	0	0	0	1	
कुल		**1335**	**1127**	**208**	**4**	**73**	**19**	**63**	**24**	**25**	

2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की उक्त समीक्षा एवं प्रतिवेदन में पाया गया कि 8 जिलों में 2500 खेसरों से कम वाले कुल 1335 राजस्व ग्रामों में अभी भी 208 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है।

समीक्षा में उक्त सभी 08 जिलों को स्मारित कराया गया कि विगत एक वर्ष में हुई निरन्तर उच्चस्तरीय बैठकों में 31 मार्च, 2024 तक 20 जिलों के प्रथम चरण अन्तर्गत आच्छादित 4927 राजस्व ग्रामों में दिसम्बर, 2023 तक सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 31 मार्च, 2024 तक अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था, किन्तु दिनांक–28.03.2024 तक 08 जिलों द्वारा प्रथम चरण के 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

2500 खेसरों तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 2501 से 5000 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई—

2501 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र —6 इंट्री	एल0 पी0 एम0 लंबित	एल0 पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति / Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	32	6	26	1	10	1	14	1	
2	अरवल	88	4	84	21	23	17	5	18	
3	बांका	57	15	42	11	18	0	8	5	
4	बेगूसराय	66	4	62	31	15	2	12	2	
5	जमुई	30	10	20	2	9	2	3	4	
6	जहानाबाद	56	12	44	3	20	0	12	9	
7	कटिहार	34	10	24	0	0	0	0	24	
8	खगड़िया	45	7	38	6	22	0	7	3	
9	किशनगंज	97	0	97	82	15	0	0	0	
10	लखीसराय	85	5	80	29	36	0	13	2	
11	मधेपुरा	18	0	18	2	11	0	3	2	
12	मुंगेर	33	14	19	0	3	0	10	6	
13	नालंदा	102	51	51	0	10	18	21	1	दो राजस्व ग्रामों का सी0एस0 मानचित्र अनुपलब्ध है।
14	पूर्णियाँ	6	0	6	0	0	0	1	5	
15	सहरसा	45	6	39	18	6	3	11	1	
16	शेखपुरा	64	64	0	0	0	0	0	0	
17	शिवहर	25	15	10	0	8	1	8	7	
18	सीतामढ़ी	106	18	88	38	27	1	16	6	
19	सुपौल	64	41	23	11	4	3	0	5	
20	प0 चम्पारण	63	11	52	9	22	5	3	13	
कुल		**1116**	**293**	**823**	**264**	**259**	**53**	**147**	**114**	**0**

समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए :—

- निदेशित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले 208 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए एवं सभी जिलों द्वारा उन राजस्व ग्रामों के कार्य में तेजी लाई जाए। जहाँ प्रारूप अधिकार प्रकाशित हो चुका है।
- सभी जिलों के पदाधिकारियों को दिनांक—14.03.2024 को हुई अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों यथा—शिविर स्तर पर संधारित की जा रही याद्दाश्त पंजी, पारित आदेश इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रक्रमवार किए जा रहे कार्यों से संबंधित कागजातों/अभिलेखों को भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के संधारण, विशिष्ट प्रकृति के मामलों को बैठक में उपस्थापित न कर अलग से उपस्थापित करने इत्यादि के बारे में पुनः स्मारित किया गया।
- निदेशित किया गया कि बैठक में सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण के किसी भी नवपदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने एवं जिले का प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं करने के लिए उपर्युक्त दोनों जिलों के सभी नवपदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों का मार्च, 2024 का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।
- बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, अरहास टेक्नोलॉजी के बकाया भुगतान से सम्बन्धित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
- निदेशित किया गया कि विभिन्न जिलों में प्रपत्र—6 की प्रविष्टि एवं खानापुरी एवं खानापुरी कार्य को धीमी गति को देखते हुए जिला स्तर पर प्रतिदिन खानापुरी एवं प्रपत्र—6 की प्रविष्टि का अनुश्रवण किया जाए एवं प्रति सप्ताह कम—से—कम 500 से अधिक प्रविष्टियों की प्रपत्र—6 में संधारण एवं कम—से—कम 60 खेसरों की खानापुरी प्रतिदिन पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
- अरवल जिले की असंतोषजनक प्रगति एवं कर्मियों द्वारा एक दिन में 40 से ज्यादा खेसरा की प्रपत्र—6 में प्रविष्टि नहीं करने के आलोक में निदेशित किया गया कि जिला स्तर से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अत्यन्त धीमी गति से काम करने वाले कर्मियों की संविदा समाप्ति की अनुशंसा एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

1. **प्रतिलिपि** : समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज / बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपिः** सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. **प्रतिलिपि** : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. **प्रतिलिपि** : प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. **प्रतिलिपि** : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. **प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. **प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Binod Kumar Pankaj
Date: 03-04-2024 10:54:02
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।